में ऐसे प्रत्येक प्रभावित परिवारों के कम से एक व्यक्ति को रोजगार भी प्रदान करे।

(छः) बिहार में नबीनगर ताप विद्युत परियोजना को शीघ्र मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति जी, बिहार राज्य में घोर विद्युत संकट है। जनता को सप्ताह में मात्र दो दिन बिजली की आपूर्ति होती है। जिससे किसानों की फसल नष्ट हो रही है, लघु उद्योग नष्ट हो रहे हैं। युवा वर्ग में स्वरोजगार के संसाधन समाप्त हो रहे हैं और राज्य का सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त है।

विद्युत समस्या के निदान हेतु मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत नबीनगर में 1000 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना का प्रस्ताव है।

मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जनहित में प्रस्तावित नबीनगर थर्मल पावर परियोजना को स्वीकृत करके शीघ्रताशीघ्र विद्युत आपूर्ति की समस्या हेतु उचित एवं कारगर कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

(सात) जलपाईगुड़ी अथवा सिलीगुड़ी में रसोई गैस भरने के संयंत्र की स्थापना की आवश्यकता

प्रो. जितेन्द्र नाथ दास (जलपाई गुड़ी) : महोदय मैं सरकार का ध्यान मंडलीय मुख्यालय, जलपाई गुड़ी में रसाई गैस की बेहद कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

मौजूदा डीलरों के पास तकरीबन 5000 रसोई गैस कनेक्शन के आवेदन-पत्र लंम्बित पड़े हैं। उपभोक्ताओं को रसोई गैस सिलेन्डरों की अनियमित आपूर्ति क्षेत्र में दूसरा संकट उत्पन्न कर रही है जिसकी परिणति लोगों द्वारा चक्का जाम के रूप में होती है। क्षेत्र के लोग उस मुद्दे को लेकर काफी उद्वेलित हैं। यह संकट केवल जलपाई गुड़ी में ही नहीं है बल्कि यही स्थिति उत्तर बंगाल के समस्त जिलों में व्याप्त है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि या तो वह मौजूदा डीलरों का एल.पी.जी. कोटा बढ़ा दे या फिर क्षेत्र में और अधिक डीलरशिप को मंजूरी दे ताकि बकाया मांगों को पूरा किया जा सके और उपभोक्ताओं को नियमित रूप से एलपीजी सिलेन्डरों की आपूर्ति करके तनाव को कम किया जा सके। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह जलपाई गुडी अथवा सिलीगुड़ी में शीघ्रातिशीघ्र एक रसोई गैस भराई संयंत्र की स्थापना करे ताकि उत्तर बंगाल के जिलों की मांग को पूरा किया जा सके।

(आठ) मद्रास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्त्यन (डिंडीगुल) : भारत का एक महत्वपूर्ण महानगर होने के कारण मद्रास के पास एक वृत्ताकारीय (सरकुलर) त्वरित रेल परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए ताकि यातायात की भीड़भाड़ से बचा जा सके, पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखा जा सके और प्रतिदिन यात्रा करने वालों तथा आम जनता को द्रुत परिवहन उपलब्ध कराया जा सके।

'मद्रास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम' (एम आर डी एस), जिसकी अभिकल्पना दक्षिण रेलवे के 'मद्रास एरिया ट्रांसपोर्ट स्टडी- द्वारा 1968-70 के दौरान की गई थी तथा जिसे योजना आयोग द्वारा 1983 में मंजूरी भी दे दी गई थी, अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। मद्रास बीच से लुज माइलपोर खण्ड के बीच परियोजना लागत 1987 में 168.21 करोड़ रु. प्राक्कलित की गई थी, जो 1996 में बढ़कर 252 करोड़ रु. हो गई इस परियोजना में 8.79 कि.मी. की दूरी का रेलमार्ग शामिल था। परियोजना केवल चेपक तक पूरी हो पाई है और उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। लुज से वेल्लाचेरी के बीच 10.32 कि.मी. दूरी का दूसरा चरण अभी शुरु किया जाना है। वेल्लाचेरी से विलिवक्कम के बीच तीसरे चरण और अंततः वेल्लाचेरी होते हुए विलिवक्कम से अवडी के बीच के चरण का कार्य दूसरे चरण का कार्य समाप्त होने के बाद शुरू किया गया है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उस प्रतिबद्धता के साथ परियोजना में तेजी लाने के लिए आगामी बजट में पर्याप्त निधियों का आबंटन करे जिससे कि कम से कम लुज तक की परियोजना को मार्च, 1977 तक पूरा किया जा सके और उसके फौरन बाद दूसरे तथा तीसरे चरण के कार्य को शुरू किया जा सके।

अपराह्न 3.09 बजे

जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री एच.डी.देवेगौड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "कि यह सभा जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी उद्घोषणा को 18 जुलाई, 1996 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

महोदय, जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 18 जुलाई, 1996 को समाप्त हो रही है तथा हम इसे थोड़े और समय के लिए बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि हम इस अवधि को छः महीने और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं फिर भी मैं इस महान सदन को यह बात सुस्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार ने वहां पर चुनाव यथासंभव शीघ्र कराने का निर्णय पहले ही ले लिया है। इस सिलसिले में, मैंने लगभग

सभी विपक्षी नेताओं से चर्चा की है और उन्होंने भी जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि थोड़े और समय के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई है।

विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों में से एक मुद्दा मतदाता सूची में कतिपय दोषों के बारे में था। हमने प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश जारी किए हैं कि उनका संक्षिप्त संशोधन एक महीने की छोटी अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाए। कुछेक राजनैतिक दलों द्वारा व्यक्त की गई एक दूसरी आशंका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बारे में थी। महोदय, मैं सेना और प्रशासन की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने संसदीय चुनाव के दौरान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का भरसक प्रयत्न किया। यदि मैं सेना तथा स्थानीय लोगों और चुनाव आयोग की प्रशंसा नहीं करता हूं, उन्हें धन्यवाद नहीं देता हूं तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहूंगा।

महोदय, वहां की मतदाता सूची में जो भी थोड़ी बहुत खामियां हैं, उन्हें संक्षिप्त संशोधन में ठीक कर दिया जाएगा। लगभग दो लाख फार्मों का वितरण किया गया और 12000 से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण के लिए अपने-अपने पतों को देते हुए फार्म भर कर वापस कर दिए हैं।

महोदय, हाल ही मैंने कश्मीर का दौरा किया है। वहां की सभी स्थानीय राजनैतिक दलों ने इस बात पर सहमति जताई है कि जितनी जल्दी हो सके वहां चुनाव कराए जाने चाहिए। संक्षेप में मैं कह सकता हूं कि घाटी में लोग शांति चाहते हैं। वहां शांति केवल चुनाव करवाकर ही लाई जा सकती है।

महोदय, कुछ लोगों ने स्वायतता का मुद्दा उठाया है। हमने अपने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में भी स्वायतता मुद्दे का जिक्र किया है। मैं पुनः इस सदन तथा उन अन्य राजनैतिक दलों को भी आश्वासन देना चाहूंगा जो मुझसे मेरे कश्मीर दौरे के दौरान ऊपर मेरे द्वारा कही गई बातों के सिलसिले में मिले थे। उस दिन मैंने यह स्पष्ट कर दिया था कि जहां तक स्वयत्तता संबंधी मुद्दे का संबंध है, नई सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करना बेहतर होगा। महोदय, मुझे सदन को यह जानकारी देते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वे सभी इस बात पर राजी हो गए थे।

उस बारे में मैं लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हालांकि हमने राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने और बढ़ाने की मांग की है फिर भी ज्यादा संभावनाएं इस बात की हैं कि चुनाव किसी समय सितम्बर में अथवा अक्तूबर के प्रथम सप्ताहांत के पूर्व ही करा लिए जाएंगे। तिथियों के बारे में अंतिम फैसला चुनाव आयोग द्वारा किया जाना है। मैंने इस महीने की 8 तारीख को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुई चर्चा में स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति शासन छः महीने और बढ़ाने का उद्देश्य यही है। मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि चुनाव यथा संभव शीघ्र करवाए जाएंगे। तिथियों के बारे में निर्णय चुनाव आयोग द्वारा केन्द्र सरकार के परामर्श से किया जाएगा। मैं तिथियों की घोषणा नहीं कर सकता। मैं केवल यही आश्वासन दूंगा कि चुनाव जितना जल्दी हो सका, करवाए जाएंगे और यदि संभव हुआ तो सितम्बर में ही करवा लिए जाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि वह संकल्प को अपना अनुमोदन प्रदान करे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा जम्मू-कश्मीर के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 18 जुलाई, 1990 को जारी उद्घोषणा को 18 जुलाई, 1996 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

माननीय सदस्यो सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया गया है। इस पर चर्चा के लिए तीन घंटे का समय दिया गया है।

श्री जगमोहन (नई दिल्ली) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए हालातों में मैं राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर के बारे में बिना सोचे-समझे बहुत-सी ऐसी बातें कही गई हैं जिनका प्रभाव खतरनाक हो सकता है।

माननीय रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर गए उन्होंने कहा, "शीघ्र ही हम कश्मीर को अधिकाधिक स्वायतता देने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं।" माननीय गृह मंत्री ने यह वक्तव्य दिया कि "यदि हम कश्मीर को रखना चाहते हैं—शब्दों पर गौर कीजिए, यदि हम कश्मीर को रखना चाहते हैं—हमें स्वायत्तता देनी होगी।" घुटने टेकने की प्रवृत्ति देखिए। रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं गृह मंत्री पूर्णतः भिन्न बात कहते हैं और अब माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भिन्न बात कह रहे हैं कि हम विधान मंडल से परामर्श करेंगे।

मुझे आशंका है कि क्या माननीय प्रधानमंत्री जी को मामले की पृष्ठभूमि का विस्तार से विवरण दिया गया है। क्या वह यह जानते हैं कि किन हालातों में तथा कथित स्वायत्तता दी गई थी। सर्वप्रथम, मेरे विचार में आपने जो कहा है 'अधिकतम स्वायत्तता' इसका क्या अभिप्राय है? मैं सत्ता पक्ष को चुनौती देता हूं कि वह मुझे इसके बारे में स्पष्ट करे।

प्रारंभ में ही, मैं उनको यह चुनौती देना चाहता हूं जिन्होंने संविधान से अधिकतम स्वायत्तता को उद्धृत किया है कि वे मुझे बताएं कि वे राज्य सरकार के विद्यमान क्षेत्राधिकार में और क्या जोड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसी एक मदं बताईए। मैं उन सभी अनुभवी मंत्रियों से पूछ रहा हूं कि वे मुझे एक भी बात बताएं जो वे जोड़ना चाहते हैं। आप यदि इस समय मुझे नहीं बता सकते, तो कृपया अपने अधिकारियों से परामर्श कीजिए कि ये बातें हैं जो हम विद्यमान स्थिति में जोड़ना चाहते हैं।

वास्तव में, जम्मू-कश्मीर की समस्या सत्ता का अभाव नहीं रहा हैं बल्कि सत्ता की अधिकता रही है। अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल

कश्मीर के लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है तथा आम आदमी को अनुच्छेद 370 के कारण परेशानी उठानी पड़ी है। मैं यह केवल राजनीतिक मुद्दे के रूप में नहीं कह रहा हूं, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं हैं। मैं यह अपने जम्मू-कश्मीर के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मुझे छह वर्ष तक इस राज्य की सेवा का अवसर मिला था। अनुच्छेद 370 को निहित स्वार्थी लोगों द्वारा कश्मीर में नौकरशाहों राजनीतिज्ञों, व्यापार में कुछ अन्य विहित स्वार्थी लोगों के छोटे-छोटे समूहों के एक भ्रष्ट और कठोर अल्पतंत्र को सरंक्षण देने के लिए इस्तेमाल किया गया है तथा इसमें कश्मीर के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचान है।

अब अधिकतम स्वायत्तता क्या है जिसके बारे में बोला जा रहा है? क्या आप इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं? दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता प्राप्ति के समय संयुक्त जनमतसंग्रह के रूप में जल्दबाजी में एक उद्घोषणा की गई थी, इसके बारे में हम सब जानते हैं मैं इसे दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन तथ्य यह है कि 26 जनवरी, 1950 के बाद हमारे संविधान के अनुच्छेद । में जम्मू-कश्मीर के क्षेत्र की बात की गई है तथा इसे भारत के संघ का एक अभिन्न अंग कहा गया है। उसके बाद केन्द्र और राज्य के बीच कार्य को लेकर कुछ समझौते किए ग ए।

राज्य और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कुछ विचार-विमर्श हुए तथा एक समझौता हुआ जिसे "डेली एग्रीमेंट' के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ऐसा कोई समझौता नहीं है। दो वक्तव्य दिए गए थे। एक तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा इसी सभा में दिया गया था और दूसरा ।1 अगस्त, 1952 को शेख अब्दुल्ला द्वारा राज्य संविधान सभा में दिया गया था। समझौता क्या था? कुछ ऐसी बातें थी जिनपर केन्द्र ने सहमति जताई थी तथा कुछ बातों पर राज्य द्वारा सहमति जताई गई थी उदाहरण के तौर पर, यह निर्णय लिया गया था कि महाराजाओं के वंशानुगत शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ-साथ इस बात पर भी सहमति हुई थी कि भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों को जम्मू-कश्मीर पर लागू किया जाएगा। अन्य उपबन्ध भी हैं, कार्य प्रणाली भी निर्धारित करनी थी; वित्तिय समरूपता लानी थी सीमा शुल्क को समाप्त करना तथा और बहुत सी बातें थी। मैं उन मामलों की सूची देने में सभा का समय नष्ट करना नहीं चाहता। लेकिन उसी समय श्री शेख अब्दुल्ला ने तथाकथित जनमत संग्रह के बारे में भारतीय उद्घोषणा का लाभ उठाते हुए ऐसे कार्य किए जो उनके पक्ष में थे, लेकिन वे कार्य नहीं किए जो उस समझौते के अंतर्गत किए जाने उपेक्षित थे।

पंडित जी की बहुत सी घोषणाओं से आप देख सकते हैं कि वे श्री शेख अब्दुल्ला के रवैये से नाराज थे। उस समय श्री शेख अब्दुल्ला ने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। वह अपनी मांगें उठाते रहे क्योंकि किसी प्रकार से उनको यह आभास हो गया था कि भारत ने जनमतसंग्रह के बारे में गलती की है तथा वह इसलिए वह कुछ नहीं कर सकता है यदि जम्मू-कश्मीर में कुछ किया गया तो वे उसे खुश रखेंगे; इस प्रकार के समझौते करते गए। अतः, उस स्थिति के अंतर्गत कुछ काम रूक गए। और अन्ततः उस षडयंत्र के कारण शेख अब्दुल्ला को बरखास्त करना पड़ा जो हम सब जानते हैं। इस बात के लिखित दस्तावेज हैं कि कश्मीर में स्वतंत्र शेख सरकार बनाने के लिए वे अमरीका के साथ सांठ-गांठ कर रहे थे। आपने लॉयड एण्ड्रसन के कागजात देखे हैं वे 1952-53 में उस समय के रिकार्ड हैं। आपने अमरीका के पुस्तकालय में एडल्स एलीवन के दस्तावेज देख हैं। वे सब यह दर्शाते हैं कि वे सांठ-गांठ कर रहे थे। 30 जनवरी, 1948 तक का एक रिकार्ड श्री जेन आर्स्टन द्वारा दिया गया है। उनका कहना है कि श्री शेख अब्दुल्ला के साथ चर्चा के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे स्वतंत्र कश्मीर के हक में हैं, वे इसके लिए कढ़े प्रयास कर रहे हैं, अतः उन्होंने हमेशा इस बात को अपने साथ रखा। इसी कारण उन्होंने भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों को लागू नहीं किया। जब उन्हें बरखास्त किया गया, हटाया गया, वहां विधान सभा थी, संविधान सभा थी। उन्होंने सभी संकल्प पारित किए तथा कुछ विस्तार किए गए। 1954 में हमारे संविधान ने अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा एक संविधानिक आदेश जारी किया गया जिसमें भारतीय संविधान के कुछ उपबंधों को जम्मू-कश्मीर राज्य पर लागू करने की बात थी। वित्तिय संघटन 1954 में किया गया। जनगणना 1957 या 1958 में प्रारंभ की गई थी। अखिल भारतीय सेवाओं का विस्तार किया गया। लेखाकार और यहां लेखापरीक्षक के क्षेत्राधिकार में विस्तार किया गया। निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया गया। लेकिन राज्य का कानून अभी भी जारी था। उन्हें इसमें भी कुछ करना था। इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय से कुछ क्षेत्राधिकार दिए गए। सारांश यह है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक बात पर सहमति प्रकट की गई थी। एक नियमित सांविधानिक आदेश पारित किया गया था। मैं बरीकी में नही जा रहा हूं। ये वास्तविकत्ता की धुरी है। आपको राज्य प्रशासन चलाना है।

आपको प्रशासनिक व्यवस्था कायम करनी है। आपको राज्य और केन्द्र के बीच कार्य के दबाव से संबंध रखने हैं। 1975 के समझौते के बारे में मैं बाद में बात करूंगा।

लेकिन आज मुद्दा यह है कि राज्य के पास सभी आरक्षित शाक्तियां हैं। इसके पास समवर्ती शक्ति है। उपर्युक्त जो जोड़ा गया है वह राज्य सरकार की पूर्ण सहमति से किया गया है वे वहां पर थे। अब प्रश्न उठता है कि वे कौन सी बातें है जिन पर हमें आपत्ति है? "1952 की स्थिति वापस लाओ" "1953 की स्थिति वापस लाओ" यह वक्तव्य कौन दे रहा है? यह सब गलत है। गलत बात कही जा रही है। 1953-53 से पहले क्या स्थिति थी? उदाहरण के तौर पर कोई वित्तीय समरूपता नहीं थी। क्या अब आप चाहेंगे कि जम्मू और कश्मीर तथा भारत सरकार के बीच कोई वित्तीय समरूपता न हो? क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर के संसाधन क्या हैं? भोजन के लिए सम्पूर्ण शत प्रतिशत धनराशि तथा गैर-योजना के लिए 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है अब, यदि कोई वित्तीय समरूपता नहीं होगी, यदि आप केवल रक्षा, संचार और विदेशी मामलों में पूर्व अवस्था में आ जाएंगे तो जम्मू और

कश्मीर के विकास हेतु कोई धन नहीं होगा। आपको सीधे सीधे 60 प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती करनी होगी। क्या किसी ने इन कठिनाइयों के बारे में कोई बात की है, हम किसके बारे में बोल रहे हैं?

मेरे पास ये आंकड़े मेरे द्वारा लिखित अपने ही लेख से लिए गए हैं जिसमें दर्शाया गया है कि 1954 से जम्मू और कश्मीर को वित्तीय समरूपता का कितना लाभ मिला है। मैं विशेषकर श्री पासवानजी से चाहूंगा कि वे जम्मू और कश्मीर की तुलना में बिहार के आंकड़ों के बारे में सुनें। यह रिजर्व बैंक के अक्तूबर 1994 के बुलेटिन के अनुसार है। वर्ष 1993-94 के लिए बिहार के लिए प्रति व्यक्ति की तुलना 192 की तुलना में जम्मू और कश्मीर प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 2291 थी। 2291 के आंकड़ों की बिहार के 192, तमिलनाडु के 223, राजस्थान के 304 तथा उत्तर प्रदेश के 331 से तुलना कीजिए। जम्मू और कश्मीर के मामले में 90 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में है, 10 प्रतिशत ऋण के रूप में, जबकि जिन चार राज्यों का मैंने उल्लेख किया है उनके लिए यह 30 प्रतिशत अनुदान और 70 प्रतिशत ऋण है। इसी प्रकार उसी वर्ष में जम्मू और कश्मीर के लिए प्रति व्यक्ति गैर-योजना अनुदान 699 है जबकि बिहार के लिए यह 64, तमिलनाडु के लिए 26, राजस्थान के लिए 73 और उत्तर प्रदेश के लिए 20 है। अब प्रश्न यह है कि इस सीमा तक वित्तीय समरूपता का लाभ वहां हुआ है। अब यदि आप पुरानी स्थिति जो कि 1952 की स्थिति कही जाती है, के बारे में बात करें, तो आप को वहीं रूकना होगा। यदि आज कोई कहता है "ठीक है" हम धन देना जारी रखेंगे; हमें इस समरूपता को जारी रखना होगा लेकिन शेष कानूनों के लिए उन्हें अपनी इच्छानुसार करने दो; तो क्या यह उचित होगा?

दूसरा प्रश्न है कल यदि उनके पास सिविल कानून हो जाए, यदि आपराधिक कानून उनके पास हो गए और यदि वे कहते है कि वे शारियत लागू करेंगे, कि उनके पास वही आपराधिक कानून होगा जो आज पाकिस्तान में लागू है, तो क्या भारतीय कर दाता या भारतीय संघ एक ऐसे राज्य का वित्त पोषण करना चाहेगा जहां धर्मतंत्र हो तथा जो हमारी निरपेक्षता, हमारे संविधान के उद्देश्यों हमारी प्रस्तावना के विरूद्ध हो, तब क्या आप उन्हें धन देते रहेंगे? क्या हमने इन असंगतियों का गहराई से चिन्तन किया है? यदि हमने ऐसा किया है तो हमें वित्तीय समरूपता लानी होगी, तब हमें सांविधानिक मानदंड और एकजुटता के सिद्धान्त अपनाने होंगे। इसलिए, इसमें समझ-बूझ की पूर्ण कमी है और क्या किया जा रहा है? मैंने सदैव यह कहा है कि यह केवल दिखावे की राजनीतिक संस्कृति है जिसने जम्मू और कश्मीर में सभी समस्याएं पैदा की है।

दिखावे की प्रवृति, गहराई में जाने की असमर्थता ने ही समस्या को जन्म दिया है। मैं आपको अनुच्छेद 356 के बारे में एक और उदाहरण दूंगा। लोग पूछते है कि अनुच्छेद 356 को वहां क्यों लागू किया गया है। ठीक है यदि वहां अनुच्छेद 356 न होता तो हम विदोहियों से नहीं निपट सकते थे। हमारे पास क्या विकल्प है? आज सभी शक्तियां उनके पास है तथा शक्तियां कैसे इस्तेमाल की जा रही हैं? मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा।

जिस समस्या से मैं निपट रहा था, वह यह थी कि कई समस्याएं इन सभी बढ़ोत्तरी के कारण, अधीन शक्तियों के कारण सत्ता की अधिकता के कारण पैदा हुई हैं। अब हमारे यहां दल-बदल विरोध कानून है। दल-बदल विरोधी कानून जम्मू-कश्मीर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता था। यह तर्कसंगत है। इसे जम्मू और कश्मीर पर भी लागू किया जाना चाहिए था। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को एक साधारण पत्र भेज दिया जाता कि "कृपया अपनी मंजूरी दीजिए ताकि इसे लागू किया जाए। इससे जम्मू और कश्मीर के लोगों को कैसे नुकसान होता, यदि ऐसा कानून वहां लागू किया जाता है? अब वहां निहित स्वार्थी लोग रहते हैं" नहीं, नहीं, हम इसे लागू नहीं करेंगे। हम अपना कानून खुद बनाएंगे। क्या कानून बनाया गया? कानून यह बनाया गया कि पार्टी प्रमुख, न कि अध्यक्ष यह निर्णय लेगा कि कौन दल-बदलू है। इसका क्या अभिप्राय है? इसका क्या प्रभाव पड़ा? कि जम्मू-कश्मीर में केवल पार्टी प्रमुख सर्वोपरि होगा। वही निर्णय लेगा कि कौन मंत्री होगा वही फैसला करेगा कि किसे टिकट मिलेगा, वही हर फैसला लेगा और यदि कोई उसके विरूद्ध कुछ कहता है या उससे भिन्न चलना चाहते हैं और यदि यह कहते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो वहीं व्यक्ति प्रश्न करने वाले के भाग्य का निर्णय करेगा। अतः यह एक प्रकार की चुनावी तानाशाही हो गई। इसलिए अनुच्छेद 370 की आड़ में उन शक्तियों की आड़ में, निहित स्वार्थी लोगों द्वारा एक प्रकार की चुनावी तानाशाही स्थापित करने की बात थी। अल्पतंत्र की स्थापना की गई तथा उस अल्पतंत्र ने भारत के विरूद्ध आवाज उठाने के निहित स्वार्थों को जन्म दिया है क्योंकि वही एक रास्ता था जिससे वे सत्ता में बने रह सकते थे। उन्होंने वहां पर कोई ठोस कार्य नहीं किया तथा जब भी कोई ठोस कार्य वहां किया जाना था तो वे आसानी से कह देते थे कि लोगों के बीच निराशा है तथा वे आसानी से उनके विरूद्ध जा सकते थे। इससे व्यक्तित्व की पहचान तथा इनप्रदियत शक्तिमत का मामला उठेगा। वास्तविक प्रश्न क्या है? यदि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को कुछ मामलों में बढ़ाया जाता है तो क्या आम आदमी को अच्छा कानून या बुरा कानून मिलेगा खराब न्याय या अच्छा न्याय मिलेगा? यदि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया जाता है, तो वह लेखा तथा लेखा परीक्षा का कार्य करेगा। इससे एक आम आदमी की इन प्रादियत शख्सियत पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? जब हम धन दे रहे हैं तो क्या इसकी लेखापरीक्षा नहीं की जानी चाहिए? इससे कौन प्रभावित होगा?

किसी ने भी इन प्रश्नों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि मैं एक प्रश्न पूछता हूं। मुझे एक बात बताईए।

क्या आप चाहते हैं कि उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए या फिर आप चुनाव आयोग के क्षेत्राधिकार का विस्तार नहीं चाहते। केवल पर्यवेक्षण में भी क्या बुराई है? ऐसी क्या बात है जो आप इसमें जोड़ना चाहते हैं पर उन्होंने नहीं उठाया?

मैंने आपको इतिहास की याद दिलायी है। अब मैं 1975 के समझौते की बात करूंगा। बंग्लादेश की समस्या का समाधान होने के पश्चात शेख अब्दुल्ला वापस आना चाहते थे। इसके लिए एक समझौते पर चर्चा हुई थी और इस प्रकार 1975 का समझौता किया गया।

कृपया सुनिए कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने शेख अब्दुल्ला से क्या कहा था। उन्होंने कहा कि कार्यकाल को बढ़ाने की बात को वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि जो सेवायें बढ़ाई गई थीं, वो न्यायोचित थीं। जब शेख अब्दुल्ला ने कहा कि यह समझौता उनकी अनुपस्थिति में हुआ है तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि यह समझौता किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं बल्कि राज्य सरकार के साथ हुआ है। फिर भी यदि आपके पास कोई प्रस्ताव है तो उसे मेरे पास भेज दीजिए।

मैं माननीय गृहमंत्री से यह निवेदन करता हूं कि कृपया इस बात को ध्यान से सुनें कि शेख की ओर से मिर्जा अफजल बेग को और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की ओर से श्री पारथासारथी को यह काम सौंपा गया था। यदि इसमें ऐसी कोई भी बात हो जो कश्मीरी लोगों के हित में नहीं है तो हम इस पर पुनः ध्यान देने के लिए तैयार हैं परन्तु उसमें ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया जो कि न्यायोचित न हो। तब शेख साहब ने कुछ और समय की मांग की। उनको मुख्यमंत्री का पद मिला और वह कश्मीर वापस चले गये। मिर्जा अफजल बेग के नेतृत्व में एक दूसरी समिति, जिसे मंत्रिमंडल समिति कहा जाता था, का गठन किया गया था। समिति विचार-विमर्श करती रही। शेख साहब जब तक जीवित रहे तब तक सत्ता में बने रहे और उन आठ वर्षों में उन्होंने अमुक बात को जोड़ दिया जाए अथवा इसे निकाल दिया जाए। दो या तीन मंत्रिमंडल समितियों का गठन हुआ था परन्तु उनमें उल्लेखनीय बात कुछ भी नहीं थी। क्या किसी ने उसके बारे में बात की है?

मैं जब राज्य सभा का सदस्य था, तब मैंने संसद में स्वयं, राज्य सभा की कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने हेतु एक प्रश्न उठाया था। मैंने पूछा था कि कृपया मुझे कोई बताए कि तीन अथवा चार वर्ष पहले राज्य सरकार के पास जो शक्तियां निहित थीं, क्या उन शक्तियों में और शक्तियां जोड़ने हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। पर उसका उत्तर 'नकारात्मक' रहा। ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। मेरे पास उस प्रश्न की संख्या और उससे संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है। शेख अब्दुल्ला के समय अथवा फारूख अब्दुल्ला के समय कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था। वे क्या। किसकी बात कर रहे हैं? उनका कहना है कि भारत का, संघ का पतन हो रहा है। पतन होने का सवाल ही कहां उठता है? देश की ओर से वक्तव्यों की पुष्टि करते हुए दी जा रही इस प्रकार की गलत सूचना के कारण समस्याएं उत्पन्न हुई हैं।

जब माननीय रक्षा मंत्री जी कश्मीर जाते हैं तो वे कहते हैं कि हम अधिक से अधिक स्वायत्तता देने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित करेंगे। आप नहीं समझ सकते कि इस टिप्पणी से सेना का मनोबल कितना गिर गया है। जब वे लोग, केरल और तमिलनाडु के वे लोग, चाहे वे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के हों अथवा सीमा सुरक्षा बल या सेना से संबंधित हों, जो शून्य से दस डिग्री कम तापमान में खाईयों में रहते हुए अनेक वर्षों से दुश्मनों से जूझ रहे हैं, जब उनको यह पता चलेगा कि आजादी को छोड़कर उन्हें सब कुछ मिलेगा तो निस्सन्देह वे लोग सवाल करेंगे। मुझसे ये सवाल पूछे गए हैं। हम क्यों लड़ रहे हैं, क्यों इन सब कठिनाइयों/असुविधाओं का सामना कर रहे हैं? क्यों हम कई लोगों की जान गंवा रहे हैं? यदि इसी प्रकार का दृष्टिकोण होगा तो मुश्किल होगी। इस सन्दर्भ में, मैं यह भूल नहीं सकता कि पूर्व प्रधानमंत्री, श्री पी.वी. नरसिंह राव द्वारा जारी बयान से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बयान हो सकता है। जब चरार-ए-शरीफ को जला दिया गया था और हमारी सेना को आरम्भ से ही जिस ढंग से वे उचित समझते हैं उस ढंग से काम करने नहीं दिया गया और उनको चरार-ए-शरीफ से दो या तीन किलोमीटर दूर रहने के लिए कहा गया। उसके बाद चरार-ए-शरीफ जला दिया गया। उस समय भी मैंने टिप्पणी की थी कि चाहे आप मस्तगुल पर दोष लगाओ, पाकिस्तान पर दोष लगाओ यह ठीक है। पर आप भी इस दोष से बच नहीं सकते कि आपने चरार-ए-शरीफ को जलने दिया है। एक ने तो यह गलती जानबूझ करकी और आपने इसे अपनी लापरवाही से होने दिया। आप इससे बच नहीं सकते। इसमें सबसे अधिक दुःखदपूर्ण वो बयान है जिसे पूर्व प्रधान मंत्री ने 21 मई, 1995 को चरार-ए-शरीफ के जलने के बाद जारी किया था। उन्होंने बयान दिया था कि मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, आजादी को छोड़कर मैं किसी भी बात पर विचार कर सकता हूं। यह क्या है? इतनी प्रतिष्ठा गंवाने के पश्चात् महान भारतवर्ष ने उस मस्तगुल को भागते हुए देखा। जिसने हमारी सरेजमीं पर सम्मेलन भी किये थे और दूरदर्शन साक्षात्कार दिये थे तत्पश्चात् वह पाक अधिकृत कश्मीर चला गया और वहां उसका विजेता के समान स्वागत हुआ। उस समय भारत के प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था कि मुझे सुरंग के छोर पर प्रकाश दिखाई देता है। हम किस तरह का देश बनाना चाहते हैं? मुद्दा यही है और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि कश्मीर की आजादी को छोड़कर वह प्रत्येक चीज पर विचार करने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब क्या है?

डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने पण्डितजी से एक प्रश्न पूछा था। उस समय उन्होंने कहा था, पण्डितजी, हमारे बीच जो मतभेद हैं उन्हें भूल जाओ ओर मुझे बताओ कि क्या आप कश्मीर के निवासियों को भारतीय पहले मानते हो अथवा कश्मीरी पहले मानते हो अथवा क्या आप उन्हें केवल कश्मीरी ही मानते हो न कि भारतीय? पण्डितजी ने कभी कोई उत्तर नहीं दिया। आज मैं वही प्रश्न माननीय मंत्रियों से, सरकार से पूछता हूं। क्या आप कश्मीर को भारत का अंग मानते हैं अथवा नहीं? क्या 'कश्मीर से कन्याकुमारी' खाली एक कहावत है अथवा वास्तविकता? हमें यह अवश्य समझना चाहिए। हमें अवश्य अपनी पहचान अपनी सभ्यता की पहचान तथा सांस्कृतिक पहचान बनानी चाहिये। हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि आप श्रेष्ठ

भारतीय संस्कृति, श्रेष्ठ भारतीय सभ्यता देखना चाहते हैं तो आप इसे कश्मीर को खण्डहरों में देखिये। कश्मीर तथा शेष भारत के बीच सम्बंध सन् 1947 से शुरू नहीं हुए हैं और वे 5000 वर्षों से भी अधिक हैं। यह मन तथा आत्मा का सम्बंध है और यह सन् 1947, 1965 तथा 1971 में हमारे नौजवानों के बलिदानों से बना है।

कश्मीर की रक्षा खातिर जो खून हमारे नौजवानों ने वहां बहाया था, उसे हम भूल चुके हैं और आज हम यह कह रहे हैं कि आजादी को छोड़कर हम प्रत्येक चीज पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

जो चीज दिल्ली के मुसलमानों के लिए अच्छी है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए अच्छी है। तो फिर वह जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए अच्छी क्यों नहीं है? उन पर वही कानून लागू क्यों नहीं किया जा सकता जो अन्य जगह के मुसलमानों पर लागू किया जाता है? इससे कश्मीर का आम आदमी कैसे प्रभावित होता है तथा शेष भारत में प्रत्येक व्यक्ति कैसे प्रभावित होता है?

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट) : हिमाचल प्रदेश का क्या है?

श्री जगमोहन : मैं उसका भी जिक्र करूंगा। पहले प्रिय श्री राव ने 371क अथवा 371 छ के बारे में कहा था और मैं उसका भी जिक्र करूंगा। मैं यह पूछ रहा हूं कि सन् 1986 में इस सम्मानीय सभा ने एक कानून पारित किया था जिसमें यह वर्णित था कि धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग नहीं होने दिया जायेगा। इसे जम्मू और कश्मीर भेजा गया था। उन्होंने कहा कि वे इसे स्वीकार नहीं करेंगी अब जो मुद्दा उठता है वह धार्मिक स्थलों के दुरूपयोग का है। ज्यादातर धार्मिक स्थलों का दुरूपयोग जम्मू और कश्मीर में हुआ है और आप वहां ऐसे कानूनों को लागू करना नहीं चाहते हैं और सभी तरह राजद्रोह पैदा करना चाहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 38 में क्या है? ये धार्मिक तथा सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को हर तरह का संरक्षण प्रदान करते हैं। यही अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर-के मुसलमानों को संरक्षण दे सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हमारा उच्चतम न्यायालय व्याख्या तथा संरक्षण प्रदान करने में किसी अन्य से कहीं ज्यादा उदार रहा है। हम स्वयं अलगाववादी भावना पैदा कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 शुरू से ही अलगावादी रहा है क्योंकि इससे यह भावना पैदा है कि वे लोग कुछ अलग हैं। मैंने आपको बहुत से उदाहरण दिये हैं जिसमें इसे लोगों के कल्याण के लिए नहीं : अपितु गरीबों के शोषण के लिए तथा निर्मम और भ्रष्ट अल्पतंत्र बनाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। कश्मीर में यही मासला है।

हमारे मित्र ने मुझे याद दिलाया है कि जम्मू-कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश में भूमि खरीद पर किसी तरह की पाबंदी लगी हुई है। महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इन पाबंदियों का आधार तर्क संगत हैं और वे न्यायालय की संवैधानिक जांच के अध्ययधीन हैं। यदि मुझे किसी ऐसी चीज से वंचित कर दिया जाता है जो गैर तर्कसंगत है तो मैं हमेशा न्यायालय के दरवाजे खटखटा सकता हूं और कलेक्टर मुझे अनुमति देगा। उन कानूनों का आशय भूमि हस्तान्तरण के संरक्षण से है जबकि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 तथा अलग संविधान के कारण पूर्णतया पाबंदी है।

सभापति महोदय : आपने आधा घण्टा ले लिया है। आपकी पार्टी से एक वक्ता और भी हैं।

श्री जगमोहन : मुझे पांच से दस मिनट और लेने दीजिये चूंकि उन्होंने प्रश्न उठाया है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। दोनों प्रावधानों में जमीन आसमान का अन्तर है। उस दिन माननीय श्री राव ने अनुच्छेद 371क, 371छ के बारे में क्या कहा था? क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या वे कश्मीरियों को जनजातियां मानते हैं जिनके रीति रिवाजों को इस तरह के प्रावधान द्वारा संरक्षित किये जाने की आवश्यकता है? क्या इन राज्यों के अलग संविधान तथा अलग ध्वज हैं? क्या नागालैंड का अलग संविधान है?

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार : क्या हिमाचल प्रदेश में कोई जायदाद खरीद सकता है?

श्री जगमोहन : कोई भी इसे अनुमति लेकर खरीद सकता है। प्रत्येक जगह भूमि हस्तान्तरण कानून हैं। बहरहाल, मैं यहां कतिपय राज्यों के कानूनों को संरक्षण देने के लिए नहीं हूं। केवल मेरी बात तो यह है कि दोनों के बीच जमीन आसमान का अन्तर है।

मेरे माननीय वरिष्ठ साथी श्री बरनाला जी यहां हैं। अब चूंकि आप याद दिला रहे हैं इसलिए मैं एक उदाहरण देता हूं। सन् 1947 में दंगों के कारण बारह हजार सिख परिवार जम्मू और कश्मीर में आये थे। पाकिस्तान में उनकी सम्पति जला दी गई। उनके परिवारों को लूटा गया था। वे जम्मू और कश्मीर आये थे। वे वहीं बस गये क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। यह एक शरणार्थी समस्या थी। हालांकि सन् 1947 को बीते बहुत वर्ष हो गये हैं, फिर भी उन बारह हजार परिवारों, उनके बच्चों, उनके पोतों के पास जम्मू और कश्मीर की नागरिकता नहीं है। उनके बच्चे किसी भी व्यावसायिक कॉलिज में दाखिला नहीं ले सकते हैं। वे ग्रामीण सहकारी बैंकों से ऋण भी नहीं ले सकते हैं। वे राज्य चुनावों अथवा स्थानीय निकायों के चुनावों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यह देश-फिलिस्तीनियों तथा दक्षिण अफ्रीका के लोगों के अधिकारों के लिए लड़ता रहा है जबकि हमारे अपने देश में हमने उन हजारों हजार लोगों को नागरिकता अधिकार तथा मानव अधिकार से वंचित कर दिया है जो दंगों तथा जातीयता की मजबूरी के कारण यहां आये थे। यही है इन दोनों के बीच पक्षपातपूर्ण अन्तर। मैंने अपनी पुस्तक से एक दृष्टांत उद्धृत किया है और इसे मैं दोबारा उद्धृत कर सकता हूं। यदि जम्मू और कश्मीर की कोई लड़की-दिल्ली में किसी भारतीय से शादी करने का अपराध करती है तो उसे सम्पति के अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। मैंने एक दृष्टांत उद्धृत किया है जिसमें जम्मू और कश्मीर की नागरिक लड़की ने एम.बी.बी.एस. करने के पश्चात् एम.डी. में प्रवेश लेना चाहा था लेकिन उसे इस आधार पर प्रवेश देने से इंकार कर दिया गया कि उसने कोर्स के पश्चात् की अवधि में दिल्ली में अपने एक दोस्त से शादी कर ली थी। उस कॉलिज को भारतीय करदाता के धन से शत